फा.सं. 31011/1/2013-स्था.(ए.IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना ए-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 21 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अविवाहित सरकारी सेवकों की छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) की हकदारी-विशेष राहत स्कीम के अधीन देय गृह नगर एलटीसी सुविधा को देश के विभिन्न भागों की यात्रा करने के लिए परिवर्तन के संबंध में स्पष्टीकरण ।

केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली,1988 को शिथिल कर समय-समय पर सरकारी सेवकों को विशेष राहत की अनुमति दी जाती है। वर्तमान में एक ऐसी छूट जो चलन में है वह है सरकारी सेवकों को उनके लिए उपलब्ध गृह नगर एलटीसी के एक ब्लॉक में परिवर्तन करके पूर्वोत्तर क्षेत्र या जम्मू एवं कश्मीर या अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हवाई यात्रा की छूट।

2. इस विभाग के दिनांक 03.04.1986 के कार्यालय ज्ञापनसं. 31011/17285 - स्था. (क) द्वारा ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्होंने स्वयं पर पूरी तरह से आश्रित माता-पिता/बहनों/अल्पव्यस्क भाईयों को अपने गृह नगर में छोड़ रखा है, उन्हें प्रत्येक वर्ष अपने गृह नगर की यात्रा करने के लिए एलटीसी लाभ लेने की अनुमति प्राप्त है। यह रियायत, सरकारी सेवक को स्वयं और उसके माता-पिता/बहनों/अल्पव्यस्क भाईयों को देय अन्य दूसरी एलटीसी सुविधाओं के एवज में होती है।

3. इस विभाग को गृह नगर एलटीसी सुविधा को देश के विभिन्न भागों में यात्रा करने के लिए परिवर्तन करने की स्वीकार्यता के संबंध में पत्र प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी अनुमति ऐसे अविवाहित सरकारी सेवकों को विशेष रियायत के अधीन होती है।

4. वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि गृह नगर एलटीसी में परिवर्तन करके देश के भिन्न-भिन्न भागों में यात्रा करने की सुविधा, विशेष रियायत स्कीम के अधीन, ऐसे अविवाहित केन्द्रीय सरकारी सेवक पर भी लागू होगी, जो प्रत्येक वर्ष अपने गृह नगर की यात्रा करने के लिए एलटीसी के लाभ लेने का पात्र हैं। इस सुविधा का लाभ, चार वर्ष के ब्लॉक में उपलब्ध चार गृह नगर एलटीसी अवसरों में से एक गृह नगर एलटीसी में परिवर्तन करके लिया जा सकता है।

21.4.15

(सूर्यनारायण झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23040341

जारी ....

सेवा में

सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी प्रशासनिक संघ राज्य क्षेत्र।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी तथा अनुभाग।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
10. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इस का.ज्ञा. को इस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

(का.ज्ञा./आदेश स्थापना एलटीसी नियमावली)